भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान
CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF AGRICULTURE,COOPEARTION AND FARMER WELFARE
ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म0प्र0) 466445
TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466 – 445
(An ISO : 9001-2008 Certified Institute)

फाईल संख्या 01–09/1997 FH-II .　　　　　　　　　　　　　　　　दिनॉक : 08.04.2019

:: निविदा सूचना ::

संस्थान के फार्म में चीकू, कटहल, आम, नीबू एवं रेस्ट हाऊस के आम,कटहल, के फल फसल की नीलामी मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। फल फसल का विवरण निम्नवत है ।

क.	फसल स्थल	फसल का नाम	कुल पौधो की संख्या	फलित पौधो की संख्या
1	फार्म,	आम	84	81
	गेस्ट हाऊस,	आम	55	48
	कार्यालय परिसर	आम	24	24
2	फार्म	कटहल	111	76
	गेस्ट हाऊस	कटहल	02	02
3	फार्म	नीबू	61	56
	गेस्ट हाऊस	नींबू	19	17
4	फार्म	चीकू बगीचा–01 (Old)	130	130
	फार्म	चीकू बगीचा–02 (New)	177	169

1. नीलामी दिनांक 16.04.2019 दिन, मंगलवार समय 2.30 बजे सभा कक्ष खंड केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में किया जाना है। जिसकी शर्ते कार्यालय समय में किसी भी दिन सस्य विज्ञानी कार्यालय एवं फार्म हाऊस से प्राप्त की जा सकती है जो व्यक्ति इन फसलो को देखने का इच्छुक हो वे किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक देख सकते है प्रत्येक फल फसल की दर अलग–अलग देना होगा एवं निवदिा देने की जमानत राशि भी अलग–अलग देना होगा, सफल निविदाकर्ता को कुल राशि का 25 प्रतिशत राशि तुरंत जमा करना होगा और शेष 75 प्रतिशत राशि 10 दिनो के अंदर जमा करना होगा । अन्यथा जमानत राशि एवं 25 प्रतिशत जमा राशि दोनों ही संस्थान द्वारा जब्त कर ली जाऐगी । निपटान समिति के पास प्रति एक फल फसल के लिये निर्धारित की गई राशि मोहरबंद लिफाफे में सुरक्षित रहेगी संस्थान के निदेशक को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से रदद् करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
1. बोली दाता अपने साथ में बोटर कार्ड/आधार कार्ड/राशन कार्ड/ड्रायविंग लाइसेन्स/टेलीफोन बिल में से कोई भी एक मूल तथा छाया प्रति साथ में अवश्य लाना होगा।
2. निविदा फार्म राशि 50/– जमा करने के पश्चात् फार्म प्राप्त किया जा सकता है ।

कृते निदेशक

नीलामी की शर्ते निम्नानुसार है :–

1. नीलामी में भाग लेने वाले निविदाकर्ता ठेकेदार को जमानत के रूपये प्रति फल फसल अलग–अलग देना होगा आम,नीबू, व कटहल के लिय राशि रूपये 5,000/– एवं चीकू फल फसल के लिये 25000/– जमानत राशि देय होगी उसके बाद ही नीलामी में भाग ले सकते है।
2. नीलामी में भाग लेने वाले निविदाकर्ता ठेकेदार अपने साथ में बोटर कार्ड/आधार कार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस/टेलीफोन बिल में से कोई भी एक छाया प्रति साथ में अवश्य लाना होगा ।
3. नीलामी में भग लेने वाले निविदाकर्ता चीकू,कटहल फसल का निरीक्षण सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कर सकते है।
4. सफल निविदाकर्ता को कुल राशि का 25 प्रतिशत राशि तुरंत जमा करना होगा और शेष 75 प्रतिशत राशि 10 दिनो के अंदर जमा करना होगा । अन्यथा जमानत राशि एवं 25 प्रतिशत जमा राशि दोनों ही संस्थान द्वारा जब्त कर ली जाऐगी ।
5. निविदाकर्ता ठेकेदार द्वारा अपना ठेका फसल को किसी भी दूसरे व्यापारी/ठेकेदार को देने का अधिकार नहीं होगा यदि वह ऐसा करता है तो उनके द्वारा जमा की गई राशि व जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी एवं निविदाकर्ता का फसल ठेका भी निरस्त कर दिया जाएगा अगर किसी भी व्यक्ति से फल तुड़वाना है तो उसकी लिखित सूचना उसके छाया प्रति परिचय पत्र के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
6. सफल बोलीकर्ता को फल तोड़कर केवल गेट नं. 01 से प्रातः 8.30 से दोपहर 01 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से शाम 5.00 बेजे तक ही ले जाना होगा ।
7. बगीचो को 30 जून 2019 तक सभी फल तोड़कर खाली करना होगा ।
8. सफल बोलीकर्ता को संस्थान के फार्म फिल्ड प्रचालन/निरीक्षण एवं रोजाना के कार्य से कोई एतराज नहीं होना चाहिये।
9. फार्म फसल फार्म इंचार्ज/सुपर वाइजर की देख रेख में वृक्षो से फल कार्य दिवस के दौरान अपने मजदूरों से तुड़वाना होगा मजदूरों में कोई भी बाल रमिको की अनुमति नहीं है।
10. सफल बोलीकर्ता का फसल तोड़ने के पूर्व निविदा राशि का 5 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा जो कार्य पूरा होने पर निविदादाता को वापस कर दी जाएगी ।
11. यह संस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत आता है। अतः इसके अनतर्गत सभी संबंधित जानकारी आवश्यकता पड़ने पर सफल बोलीकर्ता को उपलब्ध करवाना होगा ।
12. निलामी के बाद फसल की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वंय नविदाकर्ता की होगी फसल को किसी भी प्रकार की क्षति जैसे अग्नि से जलना,चौरी अथवा अन्य अप्रिय घटना की जिम्मेदारी संस्थान के अधिकारी/कर्मचारियों की नहीं होगी इस संबंध में कोई भी शिकायत मान्य नहीं होगी ।
13. नीलामी की सूचना संस्थान के बेबसाइड fmttibudni.nic.in पर देख सकते है।
14. फल फसल निलामी की राशि सफल निविदाता को भारत कोश में सीधे जमा करानी होगी । कोई निलामी की राशि नगद नहीं ली जायेगी ।
15. इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में इस संस्थान के निदेशक के पास सभी अधिकार सुरक्षित है उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा । विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र माननीय न्यायालय बुदनी (मप्र) होगा।

फसल का नाम.................................राशि (अंको में)...राशि (शब्दो में)...

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम – ....

पता–...

....

मोबाईल नं.– ....

समस्त नोटिस बोर्ड :– कार्यालय,प्रशिक्षण,परीक्षण,मुख्य द्वार, कालोनी गेट, फार्म अनुभाग नोटिस बोर्ड, नगरपालिका,रेल्वे स्टेशन बोर्ड